रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122023-250756
CG-DL-E-19122023-250756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5150] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2023/अग्रहायण 28, 1945
No. 5150] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2023/AGRAHAYANA 28, 1945

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5379(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार इस विचार के साथ कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा ऑटोमोबिल व्हील रिम घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्ष और प्रारम्भ –

1. इस आदेश को ऑटोमोबिल व्हील रिम घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश-II, 2023 कहा जाएगा।
2. यह 22.12.2023 अथवा सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगा।

2. ऑटोमोबिल व्हील रिम घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश दिनांक 21 सितंबर 2020 में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (3) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

(3) यह तालिका में निर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सामानों पर लागू होगा: बशर्ते कि इस आदेश में निम्नलिखित हेतु कुछ भी उक्त वस्तुओं अथवा सामानों पर लागू नहीं होगा; अर्थात्:-

i. निर्यात के लिए ऑटोमोबिल व्हील रिम;

ii. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का नियम 126क प्रति वाहन पांच पहिया रिम तक के वाहनों को परीक्षण से छूट प्रदान करता है, बशर्ते भारत में बेचे गए किसी आधार (बेस) मॉडल विशेष और इसके वेरिएंट की संख्या किसी वर्ष में छह लगातार माह की अवधि में 250 से कम हो;

iii. मरम्मत या बिक्री-पश्चात सर्विस प्रयोजनों के लिए प्रति चौपहिया वाहन प्रति वित्त वर्ष विनिर्माता द्वारा चौपहिया ऑटोमोटिव व्हील रिम (1,250 वाहनों के लिए) की 5,000 इकाइयों तक का आयात।

iv. अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजन से प्रति वित्त वर्ष, प्रति चौपहिया वाहन विनिर्माता चौपहिया ऑटोमोटिव व्हील रिम (2,500 वाहनों के लिए) की 10,000 इकाइयों तक का आयात।

v. भारत में चौपहिया वाहनों के विनिर्माण के लिए प्रति चौपहिया वाहन विनिर्माता प्रति वित्त वर्ष चौपहिया ऑटोमोटिव व्हील रिम (10,000 वाहनों के लिए) की 50,000 इकाइयों तक का आयात।

vi. मरम्मत या बिक्री पश्चात सर्विस प्रयोजनों के लिए प्रति दुपहिया वाहन विनिर्माता प्रति वित्त वर्ष दुपहिया ऑटोमोटिव व्हील रिम (12,000 वाहनों के लिए) की 24,000 इकाइयों तक का आयात करना।

vii. अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजन से प्रति वित्त वर्ष, प्रति दुपहिया वाहन विनिर्माता दुपहिया ऑटोमोटिव व्हील रिम (5,000 वाहनों के लिए) की 10,000 इकाइयों तक का आयात।

viii. भारत में दुपहिया वाहनों के विनिर्माण के लिए प्रति वित्त वर्ष, प्रति दुपहिया वाहन विनिर्माता दुपहिया ऑटोमोटिव व्हील रिम (35,000 वाहनों के लिए) की 70,000 इकाइयों तक का आयात, बशर्ते समान प्रकार की ऑटोमोबिल व्हील रिम इकाइयां 25,000 से अधिक न हों।

[फा. सं. 12(67)/2019-AEI (20457)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के अंतर्गत दिनांक 21 सितंबर, 2020 सां.आ. 3227(अ) के माध्यम से को प्रकाशित किया गया था। संशोधन-1 अधिसूचना संख्या सां.आ. 2132 (अ), दिनांक: 28 मई, 2021 के माध्यम से, संशोधन-2 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 4493(अ), संशोधन-3 दिनांक 8 जून, 2022 के सां.आ. 2634(अ), दिनांक 8 जून, 2022 और पिछली बार दिनांक 15 जून, 2023 को सां.आ. 2657 (अ) के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 19th December, 2023

S.O. 5379(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16, read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. Short title and commencement. –

1. This Order may be called the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Amendment Order-II, 2023.
2. It shall come into force on 22.12.2023 or the date of its publication in the Official Gazette, whichever is later.

2. In the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Order dated 21st September 2020, in paragraph 1, sub-paragraph (3) shall be substituted as follows:-

(3) It shall apply to goods or articles specified in the table: provided that nothing in this order shall apply to said goods or articles meant for the following; namely:-

i. automobile wheel rims meant for export;

ii. up to five wheel rims per vehicle w.r.t. rule 126A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which grants relaxation from test, if number of vehicles sold in India for a given base model and its variants is less than 250 in any consecutive period of six months in a year;

iii. import of up to 5,000 units of 4-Wheeler Automotive Wheel Rims (for 1,250 vehicles), by a 4-Wheeler vehicle manufacturer per financial year, for repairs or after sales service purposes.

iv. import of up to 10,000 units of 4-Wheeler Automotive Wheel Rims (for 2,500 vehicles), per financial year, per 4-Wheeler vehicle manufacturer for R & D purposes.

v. import of up to 50,000 units of 4-Wheeler Automotive Wheel Rims (for 10,000 vehicles) per financial year, per 4-Wheeler vehicle manufacturer for manufacturing 4-Wheeler vehicles in India.

vi. import of up to 24,000 units of 2-Wheeler Automotive Wheel Rims (for 12,000 vehicles) per financial year, per 2-wheeler vehicle manufacturer for repairs or after sales service purposes.

vii. import of up to 10,000 units of 2-Wheeler Automotive Wheel Rims (for 5,000 vehicles) per financial year, per two-wheeler vehicle manufacturer for R & D purposes.

viii. import of up to 70,000 units of 2-Wheeler Automotive Wheel Rims (for 35,000 vehicles) per financial year, per 2-wheeler vehicle manufacturer for manufacturing 2-Wheeler vehicles in India, *subject to not more than 25,000 Automobile Wheel Rim units of one type*.

[F. No. 12(67)/2019-AEI (20457)]

Dr. HANIF QURESHI, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide number S.O.3227(E), dated the 21st September, 2020, Amended-1 vide notification number S.O. 2132(E), dated: 28th May, 2021, Amended-2 vide notification number S.O. 4493(E), dated: 22nd October, 2021, Amended-3 vide S.O. 2634(E), dated: 8th June, 2022 and lastly amended vide S. O. 2657(E), dated: 15th June, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.19 22:21:20 +05'30'